P001

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना.स्था/2018 दिनांक 05.10.2018 द्वारा श्री प्रेम सिंह चौहान, प्रधानाचार्य राआउमावि जनावद जिला राजसमन्द का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय–जेतगढ़ जिला भीलवाड़ा किया गया था जिसके विरूद्ध श्री प्रेम सिंह द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 4391/2018 प्रेम सिंह चौहान बनाम श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर दायर की गई जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12.2018 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 05.10.2018 का क्रियान्वयन माननीय अधिकरण की आगामी सुनवाई तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय अधिकरण के आदेश की अनुपालना में विभागीय आदेश दिनांक 05.10.2018 का क्रियान्वयन अपीलार्थी श्री प्रेम सिंह चौहान के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित रहेगा जिसके फलस्वरूप श्री प्रेम सिंह माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम आदेश के अध्यधीन राआउमावि जनावद जिला राजसमन्द में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/प्रेम सिंह /अपील/4391/2018 दिनांक 02.01.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, राजसमन्द/भीलवाड़ा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) राजसमन्द/भीलवाड़ा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि) जयपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित कार्मिक/याचिकार्थी को आदेश की पालनार्थ।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/2018 दिनांक 27.09.2018 द्वारा श्री रणजीत सिंह, प्रधानाचार्य राआउमावि धोद जिला सीकर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय–बादू जिला नागौर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री रणजीत सिंह द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 4428/2018 रणजीत सिंह बनाम श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12.2018 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 27.09.2018 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 05.10.2018 का क्रियान्वयन अपीलार्थी श्री रणजीत सिंह के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण की आगामी सुनवाई तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय अधिकरण के आदेश की अनुपालना में विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 27.09.2018 का क्रियान्वयन माननीय अधिकरण द्वारा स्थगित किये जाने के फलस्वरूप श्री रणजीत सिंह राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, धोद जिला सीकर में प्रधानाचार्य के पद पर माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन पूर्ववत कार्यरत रहेंगे एवं श्रीमती आरती कुमारी का अन्तरिम समायोजन माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम निर्णय के अधीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जीणमाता, दांतारामगढ़ जिला सीकर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाता है। श्रीमती आरती कुमारी को आदेशित किया जाता है कि वे तत्काल कार्यमुक्त होकर अपने नव पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/रणजीत सिंह /अपील/4428/2018 दिनांक 02.01.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू/अजमेर संभाग, चूरू/अजमेर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, सीकर/नागौर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) सीकर/नागौर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि) जयपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित कार्मिक/याचिकार्थी को आदेश की पालनार्थ।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)